



‘ हम समझते हैं रिश्तों की कीमत ’
मत्स्य परिवार से जुड़ें
मात्स्यिकी विभाग की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं



मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश
से सम्बंधित
जन अधिकार पुस्तिका



मात्स्यिकी निदेशालय
हिमाचल प्रदेश
बिलासपुर.174 001



मत्स्य पालन विभाग, हिमाचल प्रदेश

1) योजना का नाम	बचत एवम राहत योजना		
योजना/स्कीम का संचालन	प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है।		
उद्देश्य एवम विशेषता	राज्य के जलाशयों में कार्यरत मछुआरों को दो माह के वर्जित काल के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना ।		
पात्रता	<p>1. लाभार्थी पूर्णकालिक सक्रिय मछुआरा होना चाहिये ।</p> <p>2. लाभार्थी किसी कार्यशील मत्स्य सहकारी सभा/फेडरेशन/पंजीकृत इकाई का सदस्य होना चाहिये ।</p> <p>लाभार्थी को मछली पकड़ने वाले 10 माह तक रु० 150/- प्रति माह (रु० 1500 वार्षिक) का योगदान देना होगा । राज्य सरकार, केंद्र सरकार व लाभार्थी से रु० 4500/- की एकत्रित राशि प्रत्येक मछुआरे को दो माह के वर्जित काल के समय दो किस्तों में दी जाती है ।</p>		
सहायता का ब्योरा	रु० 3000/- (रु० 600/- राज्य भाग + रु० 2400/- केंद्र भाग)		
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है । सम्बन्धित मत्स्य सहकारी सभा की सदस्यता हेतु कोरे कागज पर आवेदन करें। आवेदक साधारण कागज पर सभा के पास राशि जमा करवाने हेतु सम्बन्धित मत्स्य सहकारी सभा से अनुरोध करें ।		
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in		
वांछित दस्तावेज	राज्य के जलाशयों की मत्स्य सहकारी सभाओं से पूर्णकालिक मछुआरों का पूर्ण विवरण व 10 माह का वित्तीय योगदान ।		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी ।	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	न्यूनतम 18-60	जेंडर	सभी
2) योजना का नाम	दुर्घटना बीमा योजना (प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना की पद्धति पर)		
योजना/स्कीम का संचालन	प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है।		
उद्देश्य एवम विशेषता	राज्य के सभी मछुआरो व मत्स्य पालकों को निःशुल्क बीमा उपलब्ध करवाना		
पात्रता	1. राज्य के सभी मछुआरो व मत्स्य पालक निःशुल्क बीमा योजना में पात्र हैं। मछुआरा/मत्स्य पालक मृत्यु अथवा पूर्ण स्थाई अपंगता होने पर रु० 5.00 लाख की राशि हेतु बीमित है। आंशिक अपंगता होने पर		

	<p>रु० 2.50 लाख की राशि हेतु बीमित है तथा दुर्घटना होने पर - Indoor patient (Hospitalization expenses) उपचार हेतु मु० 0.25 लाख वित्तीय सहायता दी जाएगी।</p> <p>2. बीमा कवच 12 माह के लिये होगा ।</p> <p>3. बीमा योजना फिश कोफेड (FISHCOPFED)के माध्यम से लागू की जायेगी ।</p>
सहायता का ब्योरा	100 %
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है?	<p>दावा निधन के एक माह के भीतर करना होगा दावा फॉर्म की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है । आवेदक को सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय में साधारण कागज पर दुर्घटना बारे सूचना सम्बन्धित अधिकारी को तुरन्त देनी होगी । (आवेदन फॉर्म के लिए नीचे क्लिक करें)</p> <p>Claim Disbursement Voucher Claim Intimation under JPA Claim Form-II ANNEXURE- III Disbursement Receipt</p>
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in
वांछित दस्तावेज	<p>पहचान पत्र पते सहित, बैंक खाता विवरण (आई एफ एस सी कोड सहित), मोबाइल नंबर आधारलिनक , मृत्यु की अवस्था में मुआवजे की राशी प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र पर प्राथमिकी सुचना/रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट अथवा चिकित्सा प्रमाण पत्र जिसमें मृत्यु का कारण बताया गया हो। मृत्यु प्रमाण पत्र, वैधानिक उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र।</p> <p>सात वर्ष से गुम होने की अवस्था में मनोनीत व्यक्ति से क्षतिपूर्ति बंधपत्र। आयु प्रमाण पत्र। अपंगता की अवस्था में मुआवजे का विवरण, घटना के कारण आंशिक या पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त प्रमाण पत्र दुर्घटना के एक माह के भीतर देना होगा।</p>
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी ।	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी
आयु सीमा	18 से 70 वर्ष के बीच
	जेंडर
	सभी
3) योजना का नाम	मछुआरों व मत्स्य पालकों हेतु प्रशिक्षण शिविर योजना
योजना/स्कीम का संचालन	प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है।
उद्देश्य एवम विशेषता	मछुआरों व मत्स्य पालकों के ज्ञानवर्धन व स्वरोजगार सृजन हेतु।
पात्रता	समय समय पर मात्स्यिकी विभाग द्वारा मछुआरों व मत्स्य पालकों के ज्ञानवर्धन हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है जिसकी जानकारी विभाग के अधिकारियों से प्राप्त की जा सकती है । इस योजना में बेरोजगार व्यक्ति जो भविष्य में मत्स्य पालन अपनाना चाहता है वो भी

	पात्र है।		
सहायता का ब्योरा	100 %		
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन कोरे कागज पर मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है और प्रशिक्षण शिविर की जानकारी विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in पर एक माह पूर्व फ्लेश की जायेगी।		
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in		
वांछित दस्तावेज़	प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने हेतु आवेदन कोरे कागज पर आवेदन पत्र विषय सहित, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र पते सहित।		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर	सभी
4) योजना का नाम	तालाब नव निर्माण हेतु सहायता योजना (स्लूस गेट जलापूर्ति हेतु निर्माण कार्य तथा वायु सनचारन, आहार भंडार)		
योजना/स्कीम का संचालन	प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है।		
उद्देश्य एवम विशेषता	मत्स्य पालन में स्वरोजगार व मत्स्य उत्पादन में बढ़ोत्तरी		
पात्रता	<p>1. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई हो सकती है। पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम 7 वर्षों की अवधि ले लिए होनी अनिवार्य है।</p> <p>2. निर्मित तालाब की न्यूनतम 1.5 मीटर गहराई होनी चाहिये। प्रति लाभार्थी अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल की ही वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी तथा सहकारी सभाओं इत्यादि को प्रति सदस्य 2 हेक्टेयर तथा अधिकतम 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी </p> <p>3. परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी।</p>		
सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत= ₹ 8,40,000/- प्रति हेक्टेयर) सामान्य जाति 40% (₹ 3,36,000/-) प्रति हेक्टेयर की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति हेक्टेयर की दर से ₹ 5,04,000/- अधिकतम सीमा।		

सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है। (आवेदन फॉर्म 'क' के लिये यहाँ क्लिक करें), विभाग के साथ अनुबंध पत्र , उपयोगिता प्रमाण पत्र , जाति प्रमाण पत्र		
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in		
वांछित दस्तावेज़	स्वयं अथवा पट्टे पर ली गई ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज़ (पर्चा/ततीमा), पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर (आधार लिंक), आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क'		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर	सभी
5) योजना का नाम	रियरिंग तालाब नव निर्माण हेतु सहायता योजना		
योजना/स्कीम का संचालन	प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है।		
उद्देश्य एवम विशेषता	मत्स्य पालन में स्वरोजगार व राज्य के जल-स्रोतों में संग्रहण हेतु बड़े आकार की अन्गुलिकाएँ तैयार करना		
पात्रता	<ol style="list-style-type: none"> लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई हो सकती है। पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम 7 वर्षों की अवधि ले लिए होनी अनिवार्य है। निर्मित तालाब की न्यूनतम 1.5 मीटर गहराई होनी चाहिये। प्रति लाभार्थी अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी तथा सहकारी सभाओं इत्यादि को प्रति सदस्य 2 हेक्टेयर तथा अधिकतम 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी परियोजना प्रस्ताव केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी 		
सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत= ₹ 7,00,000/- प्रति हेक्टेयर) सामान्य जाति 40% ₹ 2,80,000/- प्रति हेक्टेयर की उच्चतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति हेक्टेयर की दर से ₹ 4,20,000/- अधिकतम सीमा।		
सहायता लेने के लिए आवेदन की	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित		

प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है?	क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है। (आवेदन फॉर्म 'क' के लिये यहाँ क्लिक करें), विभाग के साथ अनुबंध पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र		
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in		
वांछित दस्तावेज़	स्वयं अथवा पट्टे पर ली गई ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज़ (पर्चा/ततीमा), बी.पी.एल. प्रमाण पत्र, पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर, आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क', जाति प्रमाण पत्र, विभाग के साथ अनुबंध पत्र, लाभार्थी द्वारा शपथ पत्र।		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर	सभी
6) योजना का नाम	प्रथम वर्षीय आदानो हेतु सहायता योजना (बीज, खुराक, खाद व परिवहन)		
योजना/स्कीम का संचालन	प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है।		
उद्देश्य एवम विशेषता	प्रथम वर्ष में मत्स्य पालकों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु वित्तीय सहायता।		
पात्रता	1. मत्स्य पालन निर्माण व मुरम्मत पर आदानो हेतु सहायता प्रदान की जायेगी। 2. आदानों हेतु सहायता केवल प्रथम वर्ष में ही दी जायेगी। 3. आदानो हेतु सहायता केवल तालाबों के पूर्ण रूप से मत्स्य पालन योग्य होने पर दी जाएगी।		
सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत= ₹० 4,00,000/- प्रति हेक्टेयर) सामान्य जाति 40 % ₹० 1,60,000/- प्रति हेक्टेयर की उच्चतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति हेक्टेयर की दर से ₹० 2,40,000/- की अधिकतम सीमा।		
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है?	यह योजना मत्स्य तालाब नव निर्माण के लाभार्थी हेतु प्रथम वर्ष में देय है। अतः अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।		
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in		
वांछित दस्तावेज़	केवल तालाब नव निर्माण के अंतर्गत लाभार्थी हेतु सहायता योजना: पूर्ण प्रथम वर्षीय आदानो को क्रय करने की मूल रसीदे इत्यादि।		
आवेदन जमा करने का स्थान व	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य		

सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी	अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर	सभी
7) योजना का नाम	कार्प हैचरी निर्माण हेतु सहायता योजना		
योजना/स्कीम का संचालन	प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है।		
उद्देश्य एवम विशेषता	कार्प बीज उत्पादन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाना व राज्य में मत्स्य पालन में स्वरोजगार सृजन करने हेतु वित्तीय सहायता।		
पात्रता	<ol style="list-style-type: none"> लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई हो सकती है। पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम 10 वर्षों की अवधि ले लिए होनी अनिवार्य है। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। परियोजना रिपोर्ट केवल मत्स्य विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी। हैचरी में न्यूनतम 15 मिलियन (1.5 करोड़) फ्राई प्रति वर्ष उत्पादन होना चाहिये। जिसका क्षेत्रफल न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर होना अनिवार्य है। हैचरी में ब्रूडर तालाब, नर्सरी तालाब, बिजली व पानी की आपूर्ति, छोटे आकार की प्रयोगशाला इत्यादि की सुविधा होनी चाहिए। हैचरी योग्य तकनीकी एवम कुशल स्टाफ द्वारा प्रबंधित होनी चाहिये। लाभार्थी अन्य मत्स्य पालकों को मत्स्य बीज उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। निर्माण उपरांत हैचरी का प्रबंधन व संचालन लाभार्थी अपने खर्च पर करेगा। हैचरी को प्रमाणित करने का व्यय भी इकाई लागत में से वहन करना अनिवार्य होगा। 		
सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत= ₹ 25,00,000/- प्रति इकाई व 2 हेक्टेयर नरसरी तालाबों के निर्माण हेतु) सामान्य जाति 40 % ₹ 10, 00,000/- प्रति इकाई की उच्चतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाई की दर से ₹ 15,00,000/- अधिकतम सीमा।		
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है। <u>(आवेदन फॉर्म 'क' के लिये यहाँ क्लिक करें), विभाग के साथ अनुबंध पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र</u>		
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in		
वांछित दस्तावेज	स्वयं अथवा पट्टे पर ली गई ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज(पर्चा/ततीमा), पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर, आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व		

	तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र, विभाग के साथ अनुबंध पत्र, लाभार्थी द्वारा शपथ पत्र, जाति प्रमाण पत्र		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर	सभी
8) योजना का नाम	ट्राउट इकाई निर्माण हेतु सहायता योजना		
योजना/स्कीम का संचालन	प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है।		
उद्देश्य एवम विशेषता	ट्राउट पालन में स्वरोजगार व ट्राउट उत्पादन में बढ़ोतरी।		
पात्रता	<ol style="list-style-type: none"> 1. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई हो सकती है। पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम 7 वर्षों की अवधि ले लिए होनी अनिवार्य है। 2. भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है। 3. प्रति लाभार्थी केवल 4 इकाईयों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। 4. सहकारी सभाओं हेतु अधिकतम 10 इकाईयों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। 		
सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत= ₹3,00,000/- प्रति इकाई) 17m*2m*1.5m सामान्य जाति 40 % ₹ 1,20,000/- प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाई की दर से ₹ 1,80,000/- अधिकतम सीमा।		
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है। (आवेदन फॉर्म 'क' के लिये यहाँ क्लिक करें), विभाग के साथ अनुबंध पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र		
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in		
वांछित दस्तावेज	स्वयं अथवा पट्टे पर ली गई ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज, पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर, आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क', विभाग के साथ अनुबंध पत्र, लाभार्थी द्वारा शपथ पत्र, जाति प्रमाण पत्र।		

आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी	उप-निदेशक कुल्लू/सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर	सभी
9) योजना का नाम	ट्राउट पालन के प्रथम वर्षीय आदानो (बीज, खुराक, परिवहन) हेतु सहायता योजना		
योजना/स्कीम का संचालन	प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है।		
उद्देश्य एवम विशेषता	ट्राउट उत्पादन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाना व राज्य में मत्स्य पालन में स्वरोजगार सृजन हेतु वित्तीय सहायता।		
पात्रता	1. आदानो हेतु वित्तीय सहायता केवल नव निर्मित ट्राउट रेसवेज पर ही देय है। 2. आदानो हेतु वित्तीय सहायता केवल ट्राउट रेसवेज के पूर्ण रूप से मत्स्य पालन योग्य होने पर ही दी जायेगी।		
सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत= ₹2,50,000/- प्रति इकाई) सामान्य जाति 40 % ₹1,00,000/- प्रति इकाई की उच्चतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाई की दर से ₹1,50,000/- अधिकतम सीमा।		
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है?	यह योजना ट्राउट इकाई निर्माण के लाभार्थी हेतु प्रथम वर्ष में देय है। अतः अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।		
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in		
वांछित दस्तावेज़	प्रथम वर्षीय आदानो को क्रय करने की मूल रसीदे इत्यादि।		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी	उप-निदेशक कुल्लू/सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर	सभी
10) योजना का नाम	ट्राउट हैचरी निर्माण हेतु सहायता योजना		
योजना/स्कीम का संचालन	प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है।		
उद्देश्य एवम विशेषता	ट्राउट बीज उत्पादन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाना व राज्य में मत्स्य पालन में स्वरोजगार सृजन करने हेतु वित्तीय सहायता।		
पात्रता	1. लाभार्थी को स्वयं अथवा पट्टे पर ली गई ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी		

	<p>वित्तिय सहायता हेतु पात्र है पट्टे की अवधि न्यूनतम 10 वर्ष के लिए होनी अनिवार्य है।</p> <ol style="list-style-type: none"> परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी। हैचरी में न्यूनतम 15.00 लाख ट्राउट बीज प्रति वर्ष उत्पादन होना चाहिये। इसका न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर होना अनिवार्य है। हैचरी में हैचिंग ट्रौफ, 4 शावजनक रेसवे, नर्सरी टैंक, स्टार्टर फीडर टैंक, बिजली व पानी इत्यादि की सुविधा होनी चाहिए। हैचरी योग्य तकनीकी एवम कुशल स्टाफ द्वारा प्रबंधित होनी चाहिये। लाभार्थी अन्य मत्स्य पालको को मत्स्य बीज उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। निर्माण उपरांत हैचरी का प्रबंधन व संचालन लाभार्थी अपने खर्च पर करेगा । हैचरी को प्रमाणित करने का व्यय भी इकाई लागत में से वहन करना अनिवार्य होगा।
सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत= रू० 50,00,000/- प्रति इकाई) सामान्य जाति 40 % रू० 20,00,000/- प्रति इकाई की उच्चतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाई की दर से रू० 30,00,000/- अधिकतम सीमा।
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है। (आवेदन फॉर्म 'क' के लिये यहाँ क्लिक करें) , विभाग के साथ अनुबंध पत्र , उपयोगिता प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in
वांछित दस्तावेज़	स्वयं अथवा पट्टे पर ली गई ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज़, पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर, आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क', विभाग के साथ अनुबंध पत्र, लाभार्थी द्वारा शपथ पत्र, जाति प्रमाण पत्र बीपीएल प्रमाण पत्र ।
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी ।	उप-निदेशक कुल्लू/सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी

आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर	सभी
11) योजना का नाम	मछली चारा मिल्स (2 टन प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता की मिनी मील)		
योजना/स्कीम का संचालन	प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है।		
उद्देश्य एवम विशेषता	मत्स्य पालन हेतु मत्स्य आहार उत्पादन		
पात्रता	<ol style="list-style-type: none"> 1. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तिय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तिय सहायता हेतु पात्र है पट्टे की अवधि न्यूनतम 10 वर्ष के लिए होनी अनिवार्य है। 2. राज्य के बेरोजगार युवा/ महिला जिनके पास ऋण मुक्त भूमि उपलब्ध हो। 3. परन्तु यदि कोई लाभार्थी फीड मिल निर्माण हेतु नई भूमि क्रय करना चाहता है तो उस पर हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्णय अनुसार केवल 3% स्टाम्प ड्यूटी ही देय होगी। 4. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तिय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। 5. परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी। 6. फीड मील योग्य तकनीकी एवम कुशल स्टाफ द्वारा प्रबंधित होनी चाहिये। 7. लाभार्थी अन्य मत्स्य पालको को मत्स्य आहार उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। 8. निर्माण उपरांत फीड मील का प्रबंधन व संचालन लाभार्थी अपने खर्च पर करेगा । 		
सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत=30,00,000/-रु० प्रति इकाई) सामान्य जाति 50% रु० 15,00,000/- प्रति इकाई की उच्चतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाई की दर से रु० 18,00,000/- अधिकतम सीमा।		
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है। परन्तु यदि कोई लाभार्थी फीडमिल निर्माण हेतु नई भूमि क्रय करना चाहता है तो उस पर		

सकती है?	हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्णय अनुसार केवल 3% स्टैम्प ड्यूटी ही देय होगी। अधिसूचना (आवेदन फॉर्म 'क' के लिये यहाँ क्लिक करें), विभाग के साथ अनुबंध पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र		
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in		
वांछित दस्तावेज़	ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज़, पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर, आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क', विभाग के साथ अनुबंध पत्र, लाभार्थी द्वारा शपथ पत्र, जाति प्रमाण पत्र।		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी।	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर	सभी
12) योजना का नाम	एक्वेरियम/सजावटी मछली के कियोस्क सहित मछली कियोस्क का निर्माण		
योजना/स्कीम का संचालन	प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है।		
उद्देश्य एवम विशेषता	मछली विक्रय आउटलेट के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता।		
पात्रता	<ol style="list-style-type: none"> 1. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है पट्टे की अवधि न्यूनतम 10 वर्ष के लिए होनी अनिवार्य है। 2. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। 3. भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। 4. परियोजना प्रस्ताव केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी। 5. फिश आउटलेट का न्यूनतम आकर 100 वर्ग फीट होना चाहिए 6. अनु० जाति/अनु०जनजाति/महिलाओं व बेरोजगार युवाओं को वरीयता दी जाएगी। 		
सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत=10,00,000/-रु० प्रति इकाई) सामान्य जाति 40% रु० 4,00,000/- प्रति इकाई की उच्चतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाई की दर से रु० 6,00,000/- अधिकतम सीमा।		
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट		

प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है?	hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है। (आवेदन फॉर्म 'क' के लिये यहाँ क्लिक करें), विभाग के साथ अनुबंध पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र		
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in		
वांछित दस्तावेज़	ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज़, पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर, आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क', विभाग के साथ अनुबंध पत्र, लाभार्थी द्वारा शपथ पत्र, जाति प्रमाण पत्र		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी	उप-निदेशक कुल्लू/सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर	सभी
13) योजना का नाम	बैकयार्ड सजावटी मछली पालन इकाई		
योजना/स्कीम का संचालन	प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है।		
उद्देश्य एवम विशेषता	मत्स्य पालन में स्वरोजगार व मत्स्य उत्पादन में बढ़ोत्तरी		
पात्रता	<ol style="list-style-type: none"> लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई हो सकती है। पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम 7 वर्षों की अवधि ले लिए होनी अनिवार्य है। परियोजना रिपोर्ट केवल मत्स्य विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी। लाभार्थी के पास अपने घर के साथ जल स्रोत वाली न्यूनतम 300 वर्ग फीट भूमि होनी चाहिए इकाई में शेड, रियारिंग/कल्चर टैंक होने चाहिए। इकाई लागत में कैपिटल व ऑपरेशनल लागत सम्मिलित है। 		
सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत= ₹ 3,00,000/- इकाई) सामान्य जाति 40% (₹ 1,20,000/-) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाई की दर से ₹ 1,80,000/- अधिकतम सीमा।		
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है। (आवेदन फॉर्म 'क' के लिये यहाँ क्लिक करें), विभाग के साथ अनुबंध पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र		

विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in		
वांछित दस्तावेज़	स्वयं अथवा पट्टे पर ली गई ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज़ (पर्चा/ततीमा), पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर (आधार लिंक), आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क'		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर	सभी
14) योजना का नाम	मध्यम स्केल सजावटी मछली पालन इकाई		
योजना/स्कीम का संचालन	प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है।		
उद्देश्य एवम विशेषता	मत्स्य पालन में स्वरोजगार व मत्स्य उत्पादन में बढ़ोत्तरी		
पात्रता	<ol style="list-style-type: none"> लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है। भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई हो सकती है। पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम 7 वर्षों की अवधि ले लिए होनी अनिवार्य है। परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी। लाभार्थी के पास अपने घर के साथ जल स्रोत वाली न्यूनतम 150 वर्गमीटर भूमि होनी चाहिए। इकाई में शेड, रियारिंग/कल्चर टैंक होने चाहिए। इकाई लागत में कैपिटल व ऑपरेशनल लागत सम्मिलित है। 		
सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत= ₹ 8,00,000/- इकाई) सामान्य जाति 40% (₹ 3,20,000/-) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाई की दर से ₹ 4,80,000/- अधिकतम सीमा।		
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है। <u>(आवेदन फॉर्म 'क' के लिये यहाँ क्लिक करें)</u> , <u>विभाग के साथ अनुबंध पत्र</u> , <u>उपयोगिता प्रमाण पत्र</u> , <u>जाति प्रमाण पत्र</u>		
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in		
वांछित दस्तावेज़	स्वयं अथवा पट्टे पर ली गई ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज़ (पर्चा/ततीमा), पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर (आधार लिंक), आधार से जुड़ा		

	हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क'		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर	सभी
15) योजना का नाम	मध्यम बायोफ्लोक कल्चर प्रणाली (4 मीटर व्यास के 25 टैंक और 1.5 मीटर ऊँचाई)		
योजना/स्कीम का संचालन	प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है।		
उद्देश्य एवम विशेषता	मत्स्य पालन में स्वरोजगार व नवीन तकनीक द्वारा मत्स्य उत्पादन में बढ़ोत्तरी		
पात्रता	<ol style="list-style-type: none"> लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है। भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई हो सकती है। पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम 10 वर्षों की अवधि ले लिए होनी अनिवार्य है। प्रति टैंक की न्यूनतम 1.5 मीटर गहराई होनी चाहिये। प्रति लाभार्थी अधिकतम 1 इकाई की ही वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी तथा सहकारी सभाओं इत्यादि को अधिकतम 3 इकाईयों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। परियोजना रिपोर्ट केवल मत्स्य विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी। जल शुद्धिकरण इकाई अनिवार्य है। मत्स्य बीज, आहार व विपणन व्यवस्था लाभार्थी को स्वयं करनी होगी। विदेशी मछलियों को आयात करने हेतु सरकार से अनुमति अनिवार्य है। 		
सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत= ₹ 25,00,000/- प्रति इकाई) सामान्य जाति 40% (₹ 10,00,000/-) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाई की दर से ₹ 15,00,000/- अधिकतम सीमा।		
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है। (आवेदन फॉर्म 'क' के लिये यहाँ क्लिक करें), विभाग के साथ अनुबंध पत्र , उपयोगिता प्रमाण पत्र ,		

सकती है?	जाति प्रमाण पत्र		
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in		
वांछित दस्तावेज़	स्वयं अथवा पट्टे पर ली गई ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज़ (पर्चा/ततीमा), पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर (आधार लिंक), आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क'		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर	सभी
16) योजना का नाम	छोटे बायोफ्लोक कल्चर प्रणाली (4 मीटर व्यास के 7 टैंक और 1.5 मीटर ऊंचाई)		
योजना/स्कीम का संचालन	प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है।		
उद्देश्य एवम विशेषता	मत्स्य पालन में स्वरोजगार व नवीन तकनीक द्वारा मत्स्य उत्पादन में बढोत्तरी		
पात्रता	<ol style="list-style-type: none"> लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है। भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई हो सकती है। पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम 10 वर्षों की अवधि ले लिए होनी अनिवार्य है। प्रति टैंक की न्यूनतम 1.5 मीटर गहराई होनी चाहिये। प्रति लाभार्थी अधिकतम 1 इकाई क्षेत्रफल की ही वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी तथा सहकारी सभाओं इत्यादि को अधिकतम 4 इकाईयों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। परियोजना रिपोर्ट केवल मत्स्य विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी। जल शुद्धिकरण इकाई अनिवार्य है। मत्स्य बीज, आहार व विपणन व्यवस्था लाभार्थी को स्वयं करनी होगी। विदेशी मछलियों को आयात करने हेतु सरकार से अनुमति अनिवार्य है। 		
सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत= ₹ 7,50,000/- प्रति इकाई) सामान्य जाति 40% (₹ 3,00,000/-) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाई की दर से ₹ 4,50,000/- अधिकतम सीमा।		
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट		

कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है?	hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है। (आवेदन फॉर्म 'क' के लिये यहाँ क्लिक करें), विभाग के साथ अनुबंध पत्र , उपयोगिता प्रमाण पत्र , जाति प्रमाण पत्र		
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in		
वांछित दस्तावेज़	स्वयं अथवा पट्टे पर ली गई ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज़ (पर्चा/ततीमा), पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर (आधार लिंक), आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क'		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर	सभी
17) योजना का नाम	बड़े आर. ए. एस. की स्थापना (न्यूनतम 90 मीटर क्यूब/टैंक की क्षमता और मछली उत्पादन 40 टन/फसल के 8 टैंकों के साथ)		
योजना/स्कीम का संचालन	प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है।		
उद्देश्य एवम विशेषता	मत्स्य पालन में स्वरोजगार व मत्स्य उत्पादन में बढ़ोत्तरी		
पात्रता	<ol style="list-style-type: none"> लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई हो सकती है। पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम 10 वर्षों की अवधि ले लिए होनी अनिवार्य है। प्रति टैंक की न्यूनतम 1.5 मीटर गहराई होनी चाहिये। प्रति लाभार्थी अधिकतम 1 इकाई क्षेत्रफल की ही वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी तथा सहकारी सभाओं इत्यादि को अधिकतम 2 इकाईयों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी। जल शुद्धिकरण इकाई अनिवार्य है। मत्स्य बीज, आहार व विपणन व्यवस्था लाभार्थी को स्वयं करनी होगी। विदेशी मछलियों को आयत करने हेतु सरकार स अनुमति अनिवार्य है। 		
सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत= ₹ 50,00,000/- प्रति इकाई) सामान्य जाति 40% (₹ 20,00,000/-) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाई की दर से ₹ 30,00,000/- अधिकतम सीमा।		
सहायता लेने के लिए आवेदन	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय		

की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है?	कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है। (आवेदन फॉर्म 'क' के लिये यहाँ क्लिक करें), विभाग के साथ अनुबंध पत्र , उपयोगिता प्रमाण पत्र , जाति प्रमाण पत्र		
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in		
वांछित दस्तावेज	स्वयं अथवा पट्टे पर ली गई ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज (पर्चा/ततीमा), पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर (आधार लिंक), आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क'		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर	सभी
18) योजना का नाम	शीत जल की मछली पालन के लिए बड़े आर.ए.एस. की स्थापना न्यूनतम 50 क्यूबिक मीटर/ टैंक क्षमता और 10 टन/फसल की मछली उत्पादन क्षमता के 10 टैंक)		
योजना/स्कीम का संचालन	प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है।		
उद्देश्य एवम विशेषता	मत्स्य पालन में स्वरोजगार व मत्स्य उत्पादन में बढ़ोत्तरी		
पात्रता	<ol style="list-style-type: none"> लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई हो सकती है। पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम 10 वर्षों की अवधि ले लिए होनी अनिवार्य है। प्रति टैंक की न्यूनतम 1.5 मीटर गहराई होनी चाहिये। प्रति लाभार्थी अधिकतम 1 इकाई क्षेत्रफल की ही वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी तथा सहकारी सभाओं इत्यादि को अधिकतम 2 इकाईयों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी। जल शुद्धिकरण इकाई अनिवार्य है। मत्स्य बीज, आहार व विपणन व्यवस्था लाभार्थी को स्वयं करनी होगी। विदेशी मछलियों को आयात करने हेतु सरकार स अनुमति अनिवार्य है। 		
सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत= ₹ 50,00,000/- प्रति इकाई) सामान्य जाति 40% (₹ 20,00,000/-) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60%		

	प्रति इकाई की दर से ₹ 30,00,000/- अधिकतम सीमा।		
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है। (आवेदन फॉर्म 'क' के लिये यहाँ क्लिक करें), विभाग के साथ अनुबंध पत्र , उपयोगिता प्रमाण पत्र , जाति प्रमाण पत्र		
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in		
वांछित दस्तावेज	स्वयं अथवा पट्टे पर ली गई ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज (पर्चा/ततीमा), पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर (आधार लिंक), आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क'		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर	सभी
19) योजना का नाम	मीठे जल वाले क्षेत्रों के लिए बयोफ्लोक तालाबों का निर्माण जिसमें इनपुट कोस्ट भी शामिल है (0.1 हेक्टेयर की एक इकाई)		
योजना/स्कीम का संचालन	प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है।		
उद्देश्य एवम विशेषता	मत्स्य पालन में स्वरोजगार व मत्स्य उत्पादन में बढ़ोतरी		
पात्रता	<ol style="list-style-type: none"> लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई हो सकती है। पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम 7 वर्षों की अवधि ले लिए होनी अनिवार्य है। निर्मित तालाब की न्यूनतम 1.5 मीटर गहराई होनी चाहिये। प्रति लाभार्थी अधिकतम 0.1 हेक्टेयर की 2 इकाईयों की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी तथा सहकारी सभाओं इत्यादि को प्रति सदस्य 2 इकाईयां तथा अधिकतम 20 इकाईयों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। परियोजना रिपोर्ट केवल मत्स्य विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी। 		
सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत= ₹ 14,00,000/- प्रति इकाई) सामान्य जाति 40% (₹ 5,60,000/-) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाई की दर से ₹ 8,40,000/- अधिकतम सीमा।		
सहायता लेने के लिए आवेदन	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय		

की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है?	कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है। <u>(आवेदन फॉर्म 'क' के लिये यहाँ क्लिक करें)</u> , <u>विभाग के साथ अनुबंध पत्र</u> , <u>उपयोगिता प्रमाण पत्र</u> , <u>जाति प्रमाण पत्र</u>		
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in		
वांछित दस्तावेज़	स्वयं अथवा पट्टे पर ली गई ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज़ (पर्चा/ततीमा), पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर (आधार लिंक), आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क'		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर	सभी
20) योजना का नाम	शीत भंडार का निर्माण (न्यूनतम 50 टन क्षमता का प्लांट)		
योजना/स्कीम का संचालन	प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है।		
उद्देश्य एवम विशेषता	मत्स्य पालन में स्वरोजगार व मत्स्य उत्पादन में बढ़ोतरी		
पात्रता	<ol style="list-style-type: none"> लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है। भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई हो सकती है। पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम 10 वर्षों की अवधि ले लिए होनी अनिवार्य है। परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी। केवल मत्स्य पालन सम्बन्धी गतिविधियाँ हेतु प्रयोग में लाये जाएंगे। रख-रखाव व संचालन लागत लाभार्थी द्वारा वह की जायेगी। 		
सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत= ₹ 1,50,00,000/- प्रति इकाई) सामान्य जाति 40% (₹ 60,00,000/-) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाई की दर से ₹ 90,00,000/- अधिकतम सीमा।		
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है। <u>(आवेदन फॉर्म 'क' के लिये यहाँ क्लिक करें)</u> , <u>विभाग के साथ अनुबंध पत्र</u> , <u>उपयोगिता प्रमाण पत्र</u> , <u>जाति प्रमाण पत्र</u>		
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in		

वांछित दस्तावेज	स्वयं अथवा पट्टे पर ली गई ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज (पर्चा/ततीमा), पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर (आधार लिंक), आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क'		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर	सभी
21) योजना का नाम	प्रशीतित वाहन (Refrigerated Vehicle)		
योजना/स्कीम का संचालन	प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है।		
उद्देश्य एवम विशेषता	मत्स्य पालन में स्वरोजगार व मत्स्य उत्पादन में बढ़ोतरी		
पात्रता	1. परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी। 2. केवल मत्स्य पालन सम्बन्धी गतिविधियों हेतु प्रयोग में लाये जाएंगे। 3. रख-रखाव व संचालन लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी		
सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत= ₹० 25,00,000/- प्रति इकाई) सामान्य जाति 40% (₹० 10,00,000/-) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाई की दर से ₹० 15,00,000/- अधिकतम सीमा।		
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है। (आवेदन फॉर्म 'क' के लिये यहाँ क्लिक करें), विभाग के साथ अनुबंध पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र		
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in		
वांछित दस्तावेज	पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर (आधार लिंक), आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क'		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर	सभी
22) योजना का नाम	इंसुलेटेड वाहन		
योजना/स्कीम का संचालन	प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है।		
उद्देश्य एवम विशेषता	मत्स्य पालन में स्वरोजगार व मत्स्य उत्पादन में बढ़ोतरी		

पात्रता	1. परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी। 2. केवल मत्स्य पालन सम्बन्धी गतिविधियों हेतु प्रयोग में लाये जाएंगे। 3. रख-रखाव व संचालन लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी ।		
सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत= ₹० 20,00,000/- प्रति इकाई) सामान्य जाति 40% (₹० 8,00,000/-) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाई की दर से ₹० 12,00,000/- अधिकतम सीमा।		
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है। (आवेदन फॉर्म 'क' के लिये यहाँ क्लिक करें), विभाग के साथ अनुबंध पत्र , उपयोगिता प्रमाण पत्र , जाति प्रमाण पत्र		
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in		
वांछित दस्तावेज़	पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर (आधार लिंक), आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क'		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी ।	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर	सभी
23) योजना का नाम	आइस बॉक्स के साथ मोटर साइकिल		
योजना/स्कीम का संचालन	प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है।		
उद्देश्य एवम विशेषता	मत्स्य पालन में स्वरोजगार व मत्स्य उत्पादन में बढ़ोत्तरी		
पात्रता	1. परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी। 2. केवल मत्स्य पालन सम्बन्धी गतिविधियों हेतु प्रयोग में लाये जाएंगे। 3. रख-रखाव व संचालन लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी ।		
सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत= ₹० 75,000/- प्रति इकाई) सामान्य जाति 40% (₹० 30,000/-) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाई की दर से ₹० 45,000/- अधिकतम सीमा।		
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है। (आवेदन फॉर्म 'क' के		

वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है?	लिये यहाँ क्लिक करें), विभाग के साथ अनुबंध पत्र , उपयोगिता प्रमाण पत्र , जाति प्रमाण पत्र		
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in		
वांछित दस्तावेज़	पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर (आधार लिंक), आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क'		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर	सभी
24) योजना का नाम	आइस बॉक्स के साथ तीन व्हीलर		
योजना/स्कीम का संचालन	प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है।		
उद्देश्य एवम विशेषता	मत्स्य पालन में स्वरोजगार व मत्स्य उत्पादन में बढ़ोत्तरी		
पात्रता	1. परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी। 2. केवल मत्स्य पालन सम्बन्धी गतिविधियों हेतु प्रयोग में लाये जाएंगे। 3. रख-रखाव व संचालन लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी		
सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत= ₹ 3,00,000/- प्रति इकाई) सामान्य जाति 40% (₹ 1,20,000/-) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति हेक्टेयर इकाई की दर से ₹ 1,80,000/- अधिकतम सीमा।		
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है। (आवेदन फॉर्म 'क' के लिये यहाँ क्लिक करें) , विभाग के साथ अनुबंध पत्र , उपयोगिता प्रमाण पत्र , जाति प्रमाण पत्र		
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in		
वांछित दस्तावेज़	पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर (आधार लिंक), आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क'		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर	सभी
25) योजना का नाम	न्यूनतम 10 टन क्षमता का आइस प्लांट		
योजना/स्कीम का संचालन	प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार		

	के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है।		
उद्देश्य एवम विशेषता	मत्स्य पालन में स्वरोजगार व मत्स्य उत्पादन में बढ़ोत्तरी		
पात्रता	<ol style="list-style-type: none"> 1. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। पट्टे पर ली गई भूमि मालिक भी वित्तीय सहायता हेतु पात्र है। भूमि स्वयं की या पट्टे पर ली गई हो सकती है। पट्टे पर ली गई भूमि न्यूनतम 10 वर्षों की अवधि ले लिए होनी अनिवार्य है। 2. परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी। 3. केवल मत्स्य पालन सम्बन्धी गतिविधियों हेतु प्रयोग में लाये जाएंगे। 4. रख-रखाव व संचालन लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी। 		
सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत= ₹ 40,00,000/- प्रति इकाई) सामान्य जाति 40% (₹ 16,00,000/-) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाई की दर से ₹ 24,00,000/- अधिकतम सीमा।		
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है। (आवेदन फॉर्म 'क' के लिये यहाँ क्लिक करें), विभाग के साथ अनुबंध पत्र , उपयोगिता प्रमाण पत्र , जाति प्रमाण पत्र		
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in		
वांछित दस्तावेज	पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर (आधार लिंक), आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क'		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी।	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर	सभी
26) योजना का नाम	जलाशय के मछुआरों हेतु बोट व जाल		
योजना/स्कीम का संचालन	प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में लागू की जा रही है।		
उद्देश्य एवम विशेषता	मत्स्य पालन में स्वरोजगार व मत्स्य उत्पादन में बढ़ोत्तरी		
पात्रता	<ol style="list-style-type: none"> 1. राज्य के जलाशयों के सभी सक्रीय मछुआरे इस योजना के अंतर्गत पात्र है। 2. परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी। 		

	3. रख-रखाव व संचालन लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी		
सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत= ₹० 2,00,000/- प्रति इकाई) सामान्य जाति 40% (₹० 80,000/-) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाई की दर से 1,20,000/- अधिकतम सीमा।		
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है। (आवेदन फॉर्म 'क' के लिये यहाँ क्लिक करें), विभाग के साथ अनुबंध पत्र , उपयोगिता प्रमाण पत्र , जाति प्रमाण पत्र		
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in		
वांछित दस्तावेज़	सहकारी सभा की सदस्यता, पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर (आधार लिंक), आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क'		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर	सभी
27) योजना का नाम	गिल जाल आबंटन		
योजना/स्कीम का संचालन	राज्य योजना		
उद्देश्य एवम विशेषता	सभी सक्रिय जलाशय मछुआरो को मछली पकड़ने के जाल आबंटित करना		
पात्रता	लाभार्थी सहकारी सभा का सदस्य होना आवश्यक है।		
सहायता का ब्योरा	इकाई लागत = 10,000/- सामान्य जाति= 25% (2,500/-) अनुसूचित जाति/जनजाति= 50% (5,000/-)		
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है। (आवेदन फॉर्म 'क' के लिये यहाँ क्लिक करें), विभाग के साथ अनुबंध पत्र , उपयोगिता प्रमाण पत्र , जाति प्रमाण पत्र		
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in		
वांछित दस्तावेज़	जाति प्रमाण पत्र , सहकारी सभा की सदस्यता, पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर, आवेदन पत्र फॉर्म 'क'।		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर	सभी

28) योजना का नाम	रिस्क फण्ड योजना		
योजना/स्कीम का संचालन	राज्य योजना		
उद्देश्य एवम विशेषता	जलाशय के मछुआरों को बाढ़ इत्यादि अन्य प्राकृतिक आपदाओं से उनके मछली पकड़ने के उपकरणों को हुए नुकसान की आंशिक सहायता ।		
पात्रता	1. लाभार्थी पूर्णकालिक सक्रिय मछुआरा होना चाहिये । 2. लाभार्थी किसी कार्यशील मत्स्य सहकारी सभा/फेडरेशन/पंजीकृत इकाई का सदस्य होना चाहिये । मछुआरे द्वारा रिस्क फण्ड में वार्षिक 20/- ₹० का योगदान अनिवार्य है।		
सहायता का ब्योरा	सभी क्षतिग्रस्त उपकरणों की लागत पर अधिकतम 50% (अधिकतम लागत सीमा- बोट 20,000/- ₹०, जाल 2,000/- ₹०, टेंट 5000/- ₹० व तरपाल 2,000/- ₹०)		
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है। साधारण कागज पर क्षति होने की सूचना रिस्क फण्ड फॉर्म के लिए यहाँ क्लिक करें।		
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in		
वांछित दस्तावेज	आवेदन पत्र फॉर्म 'क', पटवारी/तहसीलदार की मौसम रिपोर्ट, मत्स्य अधिकारी की मौके पर क्षति रिपोर्ट, मत्स्य सहकारी सभा की रिपोर्ट प्रधान से सत्यापित होनी चाहिए दावे का आवेदन क्षति के 3 दिन के भीतर करना अनिवार्य है।		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी ।	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर	सभी
29) योजना का नाम	अनुसूचित जाति बहुल्य गाँव में सामुदायिक तालाब निर्माण/ पुनरुधार		
योजना/स्कीम का संचालन	राज्य योजना		
उद्देश्य एवम विशेषता	अनुसूचित जाति वर्ग को मत्स्य पालन से रोजगार प्रदान करना। सामुदायिक तालाब को अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति को पंचायत द्वारा पट्टे पर दिया जाता है।		
पात्रता	केवल अनुसूचित जाति बहुल्य गाँव/ पंचायत के लिए		
सहायता का ब्योरा	100% (₹० 1,00,000/-)		
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस	सम्बन्धित पंचायत को कोरे कागज पर क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन पत्र देना होगा । पंचायत प्रस्ताव, भूमि का नकल ततीमा,		

वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है?			
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in		
वांछित दस्तावेज़	पंचायत द्वारा प्रस्ताव, भूमि सम्बन्धित दस्तावेज़, लाभार्थियों के बैंक खातों का विवरण, अनुमान पत्र, लाभार्थी द्वारा शपथ पत्र।		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी	उप-निदेशक कुल्लू/सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर	सभी
30) योजना का नाम	प्रशिक्षण शिविर- अनुसूचित जाति वर्ग के लिए		
योजना/स्कीम का संचालन	राज्य योजना		
उद्देश्य एवम विशेषता	अनुसूचित जाति वर्ग को मत्स्य पालन में स्वरोजगार हेतु एक दिवसीय जागरूकता शिविर।		
पात्रता	केवल अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए		
सहायता का ब्योरा	100%		
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन कोरे कागज पर मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है और प्रशिक्षण शिविर की जानकारी विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in पर एक माह पूर्व फ्लेश की जायेगी।		
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in		
वांछित दस्तावेज़	प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने हेतु आवेदन पत्र विषय सहित, पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी	उप-निदेशक कुल्लू/सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर	सभी
31) योजना का नाम	मत्स्य पालन तालाब निर्माण जन जाति वर्ग के लिए		
योजना/स्कीम का संचालन	राज्य योजना		
उद्देश्य एवम विशेषता	हिमाचल प्रदेश में जन जातीय क्षेत्रों से बाहर रहने वाले जन जातीय वर्ग के लिए मत्स्य पालन तालाब निर्माण सहायता		
पात्रता	केवल जन जाति जातीय वर्ग के व्यक्तियों के लिए		
सहायता का ब्योरा	न्यूनतम 500 वर्ग मीटर के तालाब हेतु रु० 25,500/- की वित्तीय सहायता (प्रथम वर्षीय आदानों सहित)।		
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है। (आवेदन फॉर्म 'क'		

वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है?	के लिये यहाँ क्लिक करें), विभाग के साथ अनुबंध पत्र , उपयोगिता प्रमाण पत्र , जाति प्रमाण पत्र		
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in		
वांछित दस्तावेज़	जन जातीय प्रमाण पत्र, ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज़, पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर, आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क', विभाग के साथ अनुबंध पत्र, लाभार्थी द्वारा शपथ पत्र।		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर	सभी
32) योजना का नाम	मत्स्य पालन तालाब निर्माण जन जाति वर्ग के लिए		
योजना/स्कीम का संचालन	राज्य योजना		
उद्देश्य एवम विशेषता	हिमाचल प्रदेश में जन जातीय क्षेत्रों से बाहर रहने वाले जन जातीय वर्ग के लिए मत्स्य पालन तालाब निर्माण सहायता		
पात्रता	केवल जन जाति जातीय वर्ग के व्यक्तियों के लिए		
सहायता का ब्योरा	न्यूनतम 500 वर्ग मीटर के तालाब हेतु ₹ 25,500/- की वित्तीय सहायता (प्रथम वर्षीय आदानों सहित)।		
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है। (आवेदन फॉर्म 'क' के लिये यहाँ क्लिक करें) , विभाग के साथ अनुबंध पत्र , उपयोगिता प्रमाण पत्र , जाति प्रमाण पत्र		
विभागीय ई मेल	fisheries-hp@nic.in		
वांछित दस्तावेज़	जन जातीय प्रमाण पत्र, ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज़, पहचान पत्र पते सहित, मोबाइल नंबर, आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र फॉर्म 'क', विभाग के साथ अनुबंध पत्र, लाभार्थी द्वारा शपथ पत्र।		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर	सभी

संपर्क सूत्र /अधिकारी

जिला बिलासपुर

सहायक निदेशक मत्स्य, मत्स्य मण्डल बिलासपुर, हि० प्र०	जिला बिलासपुर	adfiseries1-bil-hp@gov.in	01978-222568
मत्स्य अधिकारी, देवली (घागस) जिला बिलासपुर	मत्स्य फार्म, देवली (घागस) जिला बिलासपुर	-	-
मत्स्य अधिकारी, लठियानी जिला ऊना	मत्स्य अवतरण केन्द्र, लठियानी जिला ऊना	-	-
मत्स्य अधिकारी, भाखड़ा, जिला बिलासपुर	मत्स्य अवतरण केन्द्र, भाखड़ा, जिला बिलासपुर	-	-
मत्स्य अधिकारी, संरक्षण, जिला बिलासपुर	मत्स्य अवतरण केन्द्र, भाखड़ा, जिला बिलासपुर	-	-
मत्स्य अधिकारी, मांदली जिला ऊना	मत्स्य अवतरण केन्द्र, मांदली जिला ऊना	-	-
मत्स्य अधिकारी, जगातखाना, जिला बिलासपुर	मत्स्य अवतरण केन्द्र, जगातखाना, जिला बिलासपुर	-	-

जिला कुल्लू

उप निदेशक मत्स्य, मत्स्य मण्डल पतलीकुहल जिला कुल्लू , हि० प्र०	जिला कुल्लू	ddfiseries-kul-hp@nic.in	01902-240163
वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, पतलीकुहल जिला कुल्लू , हि० प्र०	ट्राऊट फार्म पतलीकुहल जिला कुल्लू , हि० प्र०	-	-
मत्स्य अधिकारी, बटाहड हैचरी जिला कुल्लू , हि० प्र०	बटाहड हैचरी जिला कुल्लू , हि० प्र०	-	-
मत्स्य अधिकारी, लारजी, जिला कुल्लू, हि० प्र०	लारजी, जिला कुल्लू , हि० प्र०	-	-
मत्स्य अधिकारी, हामनी, जिला कुल्लू, हि० प्र०	हामनी, जिला कुल्लू, हि० प्र०	-	-

जिला मंडी

सहायक निदेशक मत्स्य, मत्स्य मण्डल मंडी जिला मंडी, हि० प्र०	जिला मंडी, हि० प्र०	adf-mandi- hp@nic.in	01905-235141
मत्स्य अधिकारी, मत्स्य फार्म, अल्सु जिला मंडी जिला मंडी, हि० प्र०	कार्प मत्स्य फार्म अल्सु जिला मंडी जिला मंडी, हि० प्र०	-	-
मत्स्य अधिकारी, ट्राऊट बरोट जिला मंडी जिला मंडी, हि० प्र०	ट्राऊट फार्म बरोट जिला मंडी, हि० प्र०	-	-
मत्स्य अधिकारी, मच्छयाल जिला मंडी जिला मंडी, हि० प्र०	महाशीर फार्म मच्छयाल जिला मंडी जिला मंडी, हि० प्र०	-	-

पोंग-डैम (जिला काँगडा)

सहायक निदेशक मत्स्य, मत्स्य मण्डल पोंग- डैम जिला काँगडा, हि0 प्र०	पोंग जलाशय	Adfisheries-pong-hp@nic.in	01893-201282
मत्स्य अधिकारी, धमेटा जिला काँगडा, हि0 प्र०	मत्स्य अवतरण केन्द्र धमेटा	-	-
मत्स्य अधिकारी, देहरा जिला काँगडा, हि0 प्र०	मत्स्य अवतरण केन्द्र देहरा	-	-
मत्स्य अधिकारी, ज्वाली जिला काँगडा, हि0 प्र०	मत्स्य अवतरण केन्द्र ज्वाली	-	-
मत्स्य अधिकारी, नगरोटा-सुरियाँ जिला काँगडा, हि0 प्र०	मत्स्य अवतरण केन्द्र नगरोटा-सुरियाँ	-	-
मत्स्य अधिकारी, नंदपुर जिला काँगडा, हि0 प्र०	मत्स्य अवतरण केन्द्र नंदपुर	-	-
मत्स्य अधिकारी, बरनाली जिला काँगडा, हि0 प्र०	मत्स्य अवतरण केन्द्र बरनाली	-	-

जिला हमीरपुर व काँगडा (पोंग जलाशय को छोडकर)

सहायक निदेशक मत्स्य, मत्स्य मण्डल पालमपुर, जिला काँगडा, हि0 प्र०	जिला काँगडा (पोंग जलाशय को छोडकर)	Adfisheries-pal-hp@nic.in	01894-231872
वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, हमीरपुर जिला हमीरपुर, हि0 प्र०	जिला हमीरपुर	-	-
मत्स्य अधिकारी, मत्स्य फार्म जिला काँगडा, हि0 प्र०	मत्स्य फार्म काँगडा	-	-

जिला चंबा

सहायक निदेशक मत्स्य, चंबा स्थित सुल्तानपुर जिला चंबा, हि0 प्र०	जिला चंबा,	Adfisheries-cha-hp@nic.in	01899-233801
वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, चंबा स्थित सुल्तानपुर जिला चंबा, हि0 प्र०	जिला चंबा	-	-
मत्स्य अधिकारी, ट्राऊट मत्स्य फार्म होली फार्म	ट्राऊट मत्स्य फार्म होली	-	-

जिला चंबा, हि० प्र०			
मत्स्य अधिकारी, ट्राऊट मत्स्य फार्म थल्ला जिला चंबा, हि० प्र०	ट्राऊट मत्स्य फार्म थल्ला		
जिला किन्नौर व शिमला			
सहायक निदेशक मत्स्य, शिमला जिला शिमला , हि० प्र०	जिला किन्नौर व शिमला	adfsh-sml- hp@nic.in	0177-2830171
मत्स्य अधिकारी, धमवारी जिला शिमला , हि० प्र०	ट्राऊट मत्स्य फार्म धमवारी	-	-
मत्स्य अधिकारी, सांगला जिला शिमला , हि० प्र०	ट्राऊट मत्स्य फार्म सांगला	-	-
जिला सोलन			
सहायक निदेशक मत्स्य, सोलन स्थित शामती जिला सोलन हि० प्र०	जिला सोलन	adfsheries- sol-hp@nic.in	01792-229454
वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, नालागड़ जिला सोलन हि० प्र०,	जिला सोलन	-	-
जिला सिरमौर			
सहायक निदेशक मत्स्य, सिरमौर जिला सिरमौर हि० प्र०	जिला सिरमौर	adf-sir- hp@nic.in	01702-224985
जिला ऊना			
सहायक निदेशक मत्स्य, ऊना जिला ऊना हि० प्र०	जिला ऊना	Adfisheries- una-hp@nic.in	01975-227792
वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, गगरेट जिला ऊना हि० प्र०	जिला ऊना	-	-
Postal Address: Matasaya Bhawan Changer Sector Directorate of Fisheries Himachal Pradesh, Bilaspur-174 001. e-mail: fisheries-hp@nic.in Phone-91-1978-224068(O) Phone-91-1978-224068(Fax) Phone-91-1978-223212(O)			